भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

19 माघ, 1944 (शक)

सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार मंच का दुरुपयोग

1083. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने तथा सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई नई योजना लागू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का उक्त नई योजना को किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) नई योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इससे आम लोगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथसोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के संपर्क में आने वाले भारतीयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

इस दिशा में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ("आईटी नियमावली, 2021") को अधिसूचित किया है। ये आईटी नियम, 2021 माध्यस्थों के साथ-साथ होस्ट, प्रदर्शन, अपलोड, प्रकाशित, संचारित, भण्डारण या साझा की जाने वाली सूचना पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं। माध्यस्थों को उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है, जब उन्हें या तो अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से संज्ञान में लाया जाता है। माध्यस्थों द्वारा आईटी नियमावली, 2021 में दिए गए यथोचित सावधानी का पालन

करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से अपनी छूट खो देंगे और इस तरह के कानून के अनुसार परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

माध्यस्थों को उपर्युक्त के उल्लंघन पर स्वैच्छिक आधार पर, और उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी से शिकायत या अदालती आदेश या नोटिस प्राप्त होने पर वास्तविक ज्ञान पर कानून के तहत प्रतिबंधित गैरकानूनी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना है।

बढ़ी हुई अपेक्षित सावधानी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों का संरक्षण, आदि) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) सहित संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करना शामिल है।

(ग) और **(घ)**: आईटी नियमावली, 2021 सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और देश भर में लागू हैं।

****